

देश-देशांतर : भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या और कानूनी प्रावधान

परिचर्या में शामिल प्रमुख बहि

- क्या हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दशा-नरिदेश?
- क्या मॉब लचिगि से संबंधित कानून नहीं है देश में?
- क्या मौजूदा कानून कारगर नहीं है?
- नया कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है?
- मॉब लचिगि को रोकने के उपाय
- नषिकर्ष

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

मानव एक सामाजिक प्राणी है और समूह में रहना हमेशा से मानव की एक प्रमुख विशेषता रही है जो उसे सुरक्षा का एहसास कराती है। लेकिन आज जसि तरह से समूह एक उन्मादी भीड़ में तब्दील होते जा रहे हैं उससे हमारे भीतर सुरक्षा कम बलकडिर की भावना बैठती जा रही है। भीड़ अपने लिये एक अलग कसिम के तंत्र का नरिमाण कर रही है, जसि आसान भाषा में हम भीड़तंत्र भी कह सकते हैं। भीड़ के हाथों लगातार हो रही हत्याएँ देश में चिता का वषिय बनता जा रहा है। आए दनि कोई-ना-कोई व्यक्ती हसिक भीड़ का शकिार हो रहा है।

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में भीड़ द्वारा की जा रही हसिक घटनाओं की नदि की और केंद्र तथा राज्य सरकारों को दशा-नरिदेश जारी किये। साथ ही संसद से इस संबंध में कड़ा कानून बनाने के लिये कहा।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र व राज्य सरकारों से 4 हफ्ते में रपौर्ट मांगी है। पछिले दो महीनों में 17 लोगों की हसिक भीड़ द्वारा हत्या की जा चुकी है। जबकि पछिले साल मई से अब तक वहाट्सएप पर फैली अफवाहों के चलते 28 लोग हसिक भीड़ का शकिार होकर जान गँवा चुके हैं।

क्या है भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या (Mob Lynching)?

जब अनरिंतरित भीड़ द्वारा कसिी दोषी को उसके कयि अपराध के लिये या कभी-कभी अफवाहों के आधार पर बनिा अपराध कयि भी उसी समय सज़ा दी जाए अथवा उसे पीट-पीट कर मार डाला जाए तो इसे भीड़ द्वारा की गई हत्या (Mob Lynching) कहते हैं। इस तरह भीड़ द्वारा की गई हत्या में हमेशा एक संदेश नहिति होता है जो भीड़ द्वारा समाज में प्रेषित किया जाता है। इस तरह की हत्या में कसिी कानूनी प्रक्रिया या सदिधांत का पालन नहीं किया जाता।

क्यों होती हैं ये घटनाएँ?

- बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अविश्वास की एक गहरी खाई होती है जो क हमेशा एक-दूसरे को संशय की दृष्टि से देखने के लिये उकसाती है और मौका मिलने पर वे एक-दूसरे से बदला लेने के लिये भीड़ का इस्तेमाल करते हैं।
- समाज में व्याप्त गुस्सा भी इसमें एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, चाहे वह गुस्सा कसिी भी रूप में हो; यह गुस्सा शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या सुरक्षा को लेकर भी हो सकता है जो क अंततः उन्मादी भीड़ के रूप में बाहर आता है।
- राजनीति भी हसितात्मक भीड़ का प्रमुख कारण होती है, कभी वोट बैंक के लिये प्रयोजित हसिा या कभी धर्म के नाम पर करवाई गई हसिा, राजनीतिक दलों को राजनीतिक लिये एक वसितृत पृष्ठभूमि प्रदान करती है।

नॉट इन माय नेम (#NotInMyName)

- तीन साल पहले जब आईएसआईएस (ISIS) का आतंक चरम पर था और उसने इस्लाम के नाम पर इसे न्यायोचिति ठहराना शुरू किया तो इसका बुरा प्रभाव समस्त इस्लामिक जगत पर पड़ने लगा। अतः शेष समाज के पूरवाग्रह से बचने और खुद को आतंकी इस्लाम से अलग दर्शाने के लिये बरटिन के मुस्लिम युवाओं द्वारा चलाया गया यह एक ऑनलाइन अभियान था।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना था क धर्म के नाम पर की जाने वाली हत्याओं का संबंध सरिफ कुछ धर्मांध लोगों या समूहों से ही है, न

- अफवाहों पर रोक लगाने के लिये वाट्सएप डजिटल लटिरेसी प्रोग्राम का भी सहारा लेगा। इसके लिये कंपनी, सेंटर फॉर सोशल रसिर्च सहति सात संस्थाओं के साथ मलिकर काम कर रही है। उसकी कोशशि है कएक ऐसा प्रोग्राम वकिसति कयिा जाए जो उसके यूज़र्स को सतरक बना सके।

(टीम दृष्टिइनपुट)

भीड़ द्वारा की जाने वाली हसिा को रोकने के उपाय

- कानूनों का नषिठापूरवक पालन कयिा जाना चाहयिे, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लयिे शुरुआती कदम उठाते हुए त्वरति कारयवाही की जानी चाहयिे।
- अपराधयिों को राजनैतिक प्रशरय न प्रदान करते हुए उनके लयिे सख्त-से-सख्त सज़ा सुनशिचति की जानी चाहयिे।
- हर परसिथतिमें नविरक उपायों का करयिान्वयन संभव नहीं है, अतः पुलसि को ऐसी सथतिमें उचति कदम उठाने की अनुमतदि जानी चाहयिे।
- पुलसि बलों का तकनीकी और कौशल उन्नयन कयिा जाना चाहयिे, साथ ही पुलसि बलों की संख्या में वृद्धिभी की जानी चाहयिे।
- वशिषज्ज कानूनवदिों की वयवस्था की जानी चाहयिे ताकअपराधी कानून की कमयिों का फायदा उठाते हुए बच न निकलें।
- इस तरह की घटनाओं में सोशल मीडयिा द्वारा फैलाई गई अफवाहों का सर्वाधिक योगदान होता है जो भीड़ को एकत्रति करने में बड़ी भूमकिा अदा करती है, अतः इन पर लगाम लगाने की सख्त आवश्यकता है।

आगे की राह

- अभी तक आम हत्या और भीड़ द्वारा की गई हत्या को कानून के दृष्टिसे एक ही माना जाता है, इन दोनों को कानूनन अलग-अलग परभिषति करना होगा।
- भीड़ द्वारा की गई हत्या की पहचान करनी होगी और फरि उसके बाद उस पर दहेज रोकथाम अधनियिम और पॉस्को की तरह एक सख्त और असरदायक कानून बनाना पड़ेगा।
- सोशल मीडयिा और इंटरनेट के प्रसार से भारत में अफवाहों के प्रसार में तेज़ी देखी गई है जिससे समस्या और भी गंभीर हो गई है। एक रसिर्च के मुताबकि, 40 फीसदी पढ़े-लिखे युवा भी खबर की सच्चाई को नहीं परखते और उसे अग्रसारति कर देते हैं, इस संदर्भ में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है।

नषिकरष: हाल-फलिहाल के दनिों में उनमादी भीड़ द्वारा एक के बाद एक कई इंसानों की जान ले ली गई। यह एक ऐसा तंत्र है जिसकी न तो कोई वचिरधारा है और न ही कोई सरोकार। वो कहीं भी कसिी भी बात पर आकरामक हो जाती है और जसि कसिी से भी इसको नफरत या घृणा होती है उसे उसी वकत सज़ा देने का फैसला कर देती है। इन घटनाओं में बढ़ोतरी होने की वज़ह लोगों के मन में बसा गुस्सा है। वह गुस्सा कसि बात पर है यह मायने नहीं रखता। लोग गुस्से में हैं, नाराज़ हैं और हताश हैं लेकिन उन्हें खुद पता नहीं है कएसा कयों है। इसे कानून वयवस्था की समस्या के तौर पर ही नहीं बल्क सिमाज में बनी वसिगतयिों के समाधान द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।

इस बारे में और अधिक जानकारी के लयिे इस लकि्स पर क्लकि करें:

[भीड़ द्वारा की जा रही हत्याएँ: मूल अधिकारों का चीरहरण](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/violence-and-legal-provisions-made-by-crowd>